# POLICE COMMISSIONERATE

# PRAYAGRAJ

## सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 12.05.2025

## थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल (लकडी छीलने वाला वसूला) बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-122/2025 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त केशव कुमार विश्वकर्मा पुत्र राजकरन विश्वकर्मा निवासी रामनगर उमरी थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक-11.05.2025 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत भोपतपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उ

ल्लेखनीय है कि दिनांक-11.05.2025 को अभियुक्त केशव कुमार विश्वकर्मा उपरोक्त द्वारा शराब के नशे में जमीन सम्बंधी विवाद को लेकर अपनी बडी मां सरजू देवी उम्र करीब 80 वर्ष की गर्दन पर लकड़ी छीलने वाले वसूला से वार कर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बंध मे थाना सोरांव पर मु0अ0सं0-122/2025 पंजीकृत किया गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

केशव कुमार विश्वकर्मा पुत्र राजकरन विश्वकर्मा निवासी रामनगर उमरी थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र 42 वर्ष

**सम्बंधित अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0-122/2025 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

**बरामदगी का विवरण-**

01 आलाकत्ल ( लकडी छीलने वाला वसूला)

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 राधेकिशन, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 मो0 खालिद खान, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. प्रशि0उ0नि0 विकाश जायसवाल, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. प्रशि0उ0नि0 मानवेन्द्र प्रसाद, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. प्रशि0म0उ0नि0 शिवामी मिश्रा, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. का0 राजेश मौर्या, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

## थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-258/25 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त शनि सरोज पुत्र कुल्लु सरोज निवासी ग्राम बजहाँ मिश्रान थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-12.05.2025 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत सैदाबाद बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता को सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

शनि सरोज पुत्र कुल्लु सरोज निवासी ग्राम बजहाँ मिश्रान थाना हण्डिया प्रयागराज, उम्र करीब 22 वर्ष।

**सम्बंधित अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0-258/25 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 प्रीत कुमार पाण्डेय, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 दिनेश चौहान, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. म0का0 सोनम देवी, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

## थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-247/2024 धारा-85/80(2) भा0न्या0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ नन्चू पुत्र सोलेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गोपालीपुर थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-12.05.2025 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत नेतानगर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

रंजीत कुमार उर्फ नन्चू पुत्र सोलेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गोपालीपुर थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष

**सम्बन्धित अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0-247/2024 धारा-85/80(2) भा0न्या0सं0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 अमरदेव सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 जय प्रकाश शुक्ला, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

## थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0-140/2024 धारा-108/92 बीएनएस के वांछित अभियुक्त गोलू भारतीया पुत्र छठई भारतीया निवासी ग्राम अकोढ़ा थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज को रघुनन्दन गेस्ट हाऊस अकोढ़ा थाना क्षेत्र कौंधियारा के पास से आज दिनांक-12.05.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा रामू भारतीया पुत्र राम किशुन निवासी ग्राम सदानन्द का पुरा थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज की तहरीरी सूचना बाबत विपक्षीगणों द्वारा वादी मुकदमा की बहन को दहेज के लिए प्रताडित करना व फंदे से लटकाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक-16.07.2024 को मु0अ0सं0-140/24 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 DP ACT पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान भौतिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 DP ACT का लोप कर धारा 108/92 बी0एन0एस0 में तरमीम किया गया। थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-12.05.2025 को अभियुक्त गोलू भारतीया उपरोक्त को थाना क्षेत्र कौंधियारा से गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

गोलू भारतीया पुत्र छठई भारतीया निवासी ग्राम अकोढ़ा थाना कौंधियारा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष।

**संबंधित अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0-140/2024 धारा-108/92 बीएनएस थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1.उ0नि0 मनीष सिंह थाना कौधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.का0 रविन्द्र कुमार बिन्द थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

## थाना करछना पुलिस टीम द्वारा हत्या कर शव सुखे नहर में फेंकने की घटना का सफल अनावरण कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही पर आलाकत्ल 01 हथौड़ा, 01 मोबाइल फोन व खुनालूद तिरपाल का टुकड़ा बरामद

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा थाना करछना क्षेत्र अंतर्गत डीहा के सुखे नहर में पुरूष की हत्या कर शव फेंकने की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-146/2025 धारा-103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त विपिन मिश्रा पुत्र चन्द्रदेव मिश्रा निवासी ग्राम बसई नटका थाना करछना प्रयागराज को आज दिनांक-12.05.2025 को भीरपुर अंडर-पास के नजदीक थाना क्षेत्र करछना से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त की निशांदेही पर आलाकत्ल 01 हथौड़ा, 01 मोबाइल फोन तथा खुनालूद तिरपाल का टुकड़ा बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

अवगत कराना है कि दिनांक-06.05.2025 को डीहा के सुखे नहर में मृतक धीरज मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा निवासी मेढ़वली थाना इमलिया जिला सीधी म0प्र0 का शव प्राप्त हुआ था। जिसके संबंध में मृतक के परिजन की तहरीर पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0-146/2025 धारा-103(1)

बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत कर घटना का अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया। जिसकी विवेचना के क्रम में मौखिक व तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया गया। गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों के अथक प्रयास तथा संकलित साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक-12.05.2025 को अभियुक्त विपिन मिश्रा पुत्र चन्द्रदेव मिश्रा निवासी ग्राम बसई नटका थाना करछना प्रयागराज को भीरपुर अंडर-पास के नजदीक थाना क्षेत्र करछना से गिरफ्तार किया गया तथा निशांदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 हथौड़ा गोशाला ग्राम बसई नटका थाना क्षेत्र करछना, मृतक का मोबाइल फोन घोड़ेडीह थाना क्षेत्र करछना तथा खुनालूद तिरपाल का टुकड़ा बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा-238 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

**पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ में अभियुक्त विपिन मिश्रा उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरा बड़ा भाई धीरज उर्फ अविनाश मिश्रा पुत्र चन्द्रदेव मिश्रा निवासी ग्राम बसई नटका थाना करछना प्रयागराज मृतक की पत्नी को पसंद करता था तथा उसकी पत्नी से शादी भी करना चाहता था । लेकिन जब तक मृतक जीवित था तब तक ये संभव नही था। इसलिए मेरे बड़े भाई ने मुझसे मृतक(धीरज) की हत्या करने को बोला। मेरे भाई के ऊपर मृतक के कुछ पैसे बकाया थे। मेरे बड़े भाई ने मुझसे बताया कि मैं मृतक को हमारे गोशाला पर पैसा देने के बहाने भेजूंगा और जब वह पैसा लेकर पीछे मुड़ेगा तुम उसके ऊपर वार कर उसकी हत्या कर देना। मेरे बड़े भाई ने मृतक को फोन करके गोशाला पर पहुंचने के लिए बोला था। मैने अपने भाई के कहे अनुसार पैसा देने के बाद मृतक के सिर पर हथौड़े से मार दिया। जिससे मृतक मुंह के बल गिर गया। गिरने के पश्चात मैने हथौड़े से उसकी पीठ व गर्दन पर कई वार किये। जब मुझे लगा कि वह मर गया तब मैने अपने साथी को बुलाकर शव को उसी की मोटरसाइकिल से ले जाकर ग्राम डीहा के सुखे नहर में फेंक दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

विपिन मिश्रा पुत्र चन्द्रदेव मिश्रा निवासी ग्राम बसई नटका थाना करछना प्रयागराज।

**संबंधित अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0-146/2025 धारा-103(1)/238 बीएनएस थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

**बरामदगी का विवरण-**

1. आलाकत्ल 01 हथौड़ा
2. मृतक का मोबाइल फोन
3. खुनालूद तिरपाल का टुकड़ा

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. प्र0नि0 अनूप सरोज थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 दीपक भाटी थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 विकास कुमार थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 कैलाश थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. उ0नि0 दर्शन थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. म0उ0नि0 रिया थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. म0उ0नि0 निशा थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. का0 ज्योतेन्द्र थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
9. का0 अनुज थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।